बुजुर्ग का कथन

दावाकर्ता के अतिरिक्त अन्य सम्माननीय ग्राम के बुजुर्ग व्यक्ति का लिखित बयान
(धारा १३(१)(झ) देखें)

मैं श्री / श्रीमती ..... उम्र ..... निवासी ..... गांव का वरिष्ठ व्यक्ति हूं और अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ व संशोधित नियम २०१२ के अनुसार गठित वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव के समक्ष लिखित बयान देता हूं कि:

वनभूमि धारक का नाम: ..... निवासी ..... को मैं ..... विगत वर्षों से जानता हूँ

उपरोक्त वनभूमि धारक व्यक्ति मेरे पूर्ण परिचय का है और पहले से हमारे गांव का निवासी है। १३ दिसंबर २००५ से बहुत पहले से इस व्यक्ति की वन भूमि सर्वे नंबर ..... पर ..... हेक्टर भूमि खेती के लिए व झोंपडी, घर बनाकर रहने हेतु / वन भूमि सर्वे नंबर ..... पर ..... हेक्टर भूमि ..... नियमित रूप से अतिक्रमण की गई है। तभी से इस व्यक्ति द्वारा उपरोक्त भूमि पर खेती करते हुए / झोपडी घर का उपयोग करते हुए मै देख रहा हूं और इस प्रक्रिया का मै प्रत्यक्ष गवाह हूं। इस वनभूमि धारक व्यक्ति का अधिकार बहुत पुराना है और इसीलिए उक्त अधिकार १३ दिसंबर २००५ से पूर्व का होने का मै लिखित बयान दे रहा हूं।

मै गांव का वरिष्ठ व्यक्ति हूं और अनुसूचित जाती व अन्य पारंपरिक वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३ की उपधारा १(क) के अनुसार ऐसे वन भूमि धारक को रहने के लिए / जीवन निर्वाह के लिए / रहने और जीवन निर्वाह दोनों के लिए वन भूमि प्राप्त करने और उस पर रहने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार इसी अधिनियम के अध्याय ३ अंतर्गत धारा ३ के अंतर्गत निर्देशित किए अनुसार वनभूमि पर अधिपत्य १३ दिसंबर २००५ से पहले का होने के कारण इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार मान्य करने हेतु पात्र है. ऐसा बयान वन अधिकार समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य के समक्ष मै लिखित मे दे रहा हूं।

दिनांक :

स्थान

वरिष्ठ नागरिक के हस्ताक्षर या अंगूठा

बयान मेरे समक्ष लिखा गया